

तारीख व हुक्म

14 5 25

वादी स्वयं कोर्ट में प्रस्तुत होकर
 एपिस्ट कोर्ट को वादी अनुपस्थित होने
 का लक्ष्य है। वादी का स्थान है।
 कोर्ट द्वारा जारी की गई सूचना के
 अन्तर्गत 1/2 बीघा है जो कोर्ट में
 कलन में है। जो कोर्ट प्रतिवादी ने
 वादी के बल पर एपिस्ट कोर्ट में
 प्रकरण 188 RT act में प्रस्तुत
 किया है। वादी को लक्ष्य है कि
 188 RT act में उक्त पुनः कलन
 नहीं किया जा सकता है। वादी 188B
 RT act में एपिस्ट कोर्ट में प्रकरण/
 वाद प्रस्तुत करे तो उक्त अधिनियम
 प्राप्त होगा। वादी वाद विज्ञापन व
 के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते हैं।
 कोर्ट के आदेश पर खीरज किया
 जाता है। निम्न मदन कोर्ट में प्रस्तुत पुनः
 मन्त्र। पञ्जाबी कोर्ट वृत्त कोर्ट में
 से कर है।

वाद विज्ञापन
 करा है।
 वही मन्त्र 183B
 में वाद लक्ष्य है।
 वाद विज्ञापन

(01/11/2014) उज्जैन महानगरपालिका
 उपस्थित अधिकारी अन्ता
 (पञ्जाबी कोर्ट वृत्त)
 उज्जैन महानगरपालिका